वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी,
जयपुर-302004

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2016–2017)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी हैः–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1	श्रीमती अपर्णा अरोरा	अध्यक्ष
2	श्री के.सी.ए.अरूण प्रसाद	सदस्य–सचिव
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)
4	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो	सदस्य (सरकारी)

5	आयुक्त, परिवहन विभाग दिनांक 01.04.2016 से 27.07.2016 तक	सदस्य (सरकारी)
	आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो दिनांक 28.07.2016 से लगातार	
6	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिनांक 01.04.2016 से 27.07.2016	सदस्य (सरकारी)
	मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वा.अभि.विभाग, दिनांक 28.07.2016 से लगातार	
7	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (सरकारी)
8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम दिनांक 01.04.2016 से 27.07.2016	सदस्य (बोर्ड या निगम)
	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम दिनांक 28.07.2016 से लगातार	
10	श्री निर्मल नाहटा, महापौर, नगर निगम, जयपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	श्री नारायण चौपड़ा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	श्री महेश विजय, महापौर, नगर निगम, कोटा दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	श्री घनश्याम ओझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	श्री लोकेश द्विवेदी, उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	श्री शान्ति लाल बलार, लघु उद्योग भारती, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय,	सदस्य

	जयपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	(गैर सरकारी)
16	श्री अभिषेक शर्मा, पुत्र श्री कैलाश शर्मा, 705, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (गैर सरकारी)
17	मेजर श्री विकास चौधरी, (सेवानिवृत), ए– 147, गोल बिल्डिंग, विद्युत नगर, जयपुर दिनांक 28.07.2016 से लगातार	सदस्य (गैर सरकारी)

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 15 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के बारह अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 394 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 260 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनिकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गो में विभाजित हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान मण्डल की एक बैठक दिनांक 20.07.2016 को आयोजित की गई।

मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

1. वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 8945 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
2. वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 14290 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

3. वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 506 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
4. वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 2010 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
5. वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के अन्तर्गत कुल . 4 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1209 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित उद्योगों में से 158 उद्योग वर्तमान में बंद है अथवा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित नहीं करते हैं, 31 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा बहुत कम है एवं 126 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट मात्र उनके डी. जी. सेट/ कम्प्रेशर से निकलने वाले spent/ used oil के रूप में है तथा 68 दवा/कीटनाशक बनाने वाली इकाईयों द्वारा उनके निर्माण के दौरान जनित अनुपयोगी उत्पाद एवं समय सीमा समाप्ति वाले उत्पाद से न्यूनतम मात्रा में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होता है, शेष 826 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अधिक होने से उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है।

राज्य में 8 व्यक्तिगत भूमि निपटान (Land fill) सुविधा एवं 7 व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा (इनसिनरेटर) हैं, राज्य के लगभग सभी बड़े सीमेंट उद्योगों द्वारा भी परिसंकटमय अपशिष्ट का सहप्रसंस्करण किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है, इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:–

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा0 लि0 में स्थित भस्मक (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2016–2017 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तर के 14 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तर के 60 अस्पतालों, 100 से 199 बिस्तर के 48 अस्पतालों, 100 बिस्तर तक के 4204 अस्पतालों एवं 1440 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिन्हित किया गया है इनसे अनुमानतः 20124 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 12 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर/ जिले
1	इन्सट्रोमेडिक्स इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर (सिटी)
2	इन्सट्रोमेडिक्स इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर ग्रामीण एवं दौसा
3	एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम–उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर
4	सेल्स प्रोमोटर, ग्राम–केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर एवं पाली
5	सेल्स प्रोमोटर, ग्राम–सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर, भीलवाडा एवं नागौर (आंशिक)
6	ई–टेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर, नागौर (आंशिक) एवं चुरू
7	ई–टेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
8	हॉसविन इन्सीनरेटर, जेलवैल के सामने, खसरा नं. 645/256, रून्डी धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर एवं भरतपुर
9**	हॉसविन राजपुताना इन्सीनरेटर, ग्राम–थिनला, सवाईमाधोपुर।	जिला सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
10	हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम–धानवारा, झालावाड़	जिला झालावाड एवं बाराँ

11	राजदीप बायोटेक, ग्राम–बोरावास, कोटा	जिला कोटा एवं बून्दी
12	दत्त एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड ब्लॉक नं. एस 21 शॉप नं. 04 संजय पैलेस आगरा	जिला धौलपुर

** वर्तमान मे बन्द है।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2016–2017 तक चौदह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन चौदह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से पांच संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, तीन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर–माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार सयंत्रो का विवरण निम्नानुसार है:–

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्र सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	स्थापना / प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र * (पाली सी.ई.टी.पी. –1) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1983	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –2) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1997	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –3) पुनायता रोड, जिला पाली	1999	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2009	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	षष्ठम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –6) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2015	12 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
6	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –1) बालोतरा, जिला बाड़मेर	2000	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –2) बालोतरा, जिला बाड़मेर	2006	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
8	तृतीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –3) बालोतरा, जिला बाड़मेर	2015	18 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	जासोल, जिला बाड़मेर	2004	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	जासोल, जिला बाड़मेर	2013	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
11	बिठुजा, जिला बाड़मेर	2006	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

12	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	2004	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग
13	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	2004	06.00 एम.एल.डी.	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल–जल
14	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	2002	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग

* वर्तमान मे बन्द है।

सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2016–2017 तक कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

राज्य में कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क्र.सं.	स्थल	क्षमता
1–	ब्रह्मपुरी, जयपुर	27 एम.एल.डी.
2–	ग्राम डेलावास, I प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.50 एम.एल.डी.
3–	ग्राम डेलावास, II प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर	62.5 एम.एल.डी.
4–	ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील आमेर, जयपुर	50 एम.एल.डी.
5–	रामनिवास बाग, जयपुर	1 एम.एल.डी.
6–	रलावता, ग्राम गोनेर, जयपुर	30 एम.एल.डी.
7–	ग्राम गजोधरपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर	30 एम.एल.डी.
8–	ग्राम अग्यारा, तहसील रामगढ़, अलवर	20 एम.एल.डी.
9–	नियर भिवाड़ी मोड़, सेक्टर I, भिवाड़ी, अलवर	4 एम.एल.डी.
10–	किशनघाट, जैसलमेर	10 एम.एल.डी.
11–	ग्राम कुर्ला, बाड़मेर	10 एम.एल.डी.
12–	ग्राम तागावाली, राजाखेड़ा रोड़, धौलपुर	10 एम.एल.डी.
13–	ग्राम सूरवाल, सवाई माधोपुर	10 एम.एल.डी.
14–	साजीधेड़ा, किशोरपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा	30 एम.एल.डी.
15–	वल्लभ गार्डन, बीकानेर	20 एम.एल.डी.
16–	डाड देवी रोड़, ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील लाडपुरा, कोटा	20 एम.एल.डी.
17–	ग्राम केवाड़ा, भीलवाड़ा	5.5 एम.एल.डी.
18–	ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	20 एम.एल.डी.

19–	ग्राम केवाड़ा, भीलवाड़ा	4.50 एम.एल.डी.
20–	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर	1 एम.एल.डी.
21–	ग्राम जेरला, बालोतरा कस्बे के पास, तहसील पचपदरा, बाड़मेर	9 एम.एल.डी.
22–	गम्भीरी नदी के पास बने अभिमन्यु पार्क के पास, चित्तोडगढ	3 एम.एल.डी.
23–	जवाहर सर्किल, जयपुर	1 एम.एल.डी.
24–	ग्राम नान्दडी, बैनाड़ रोड, जोधपुर	20 एम.एल.डी.
25–	सालावास, I, जोधपुर	50 एम.एल.डी.
26–	बलवा रोड, नागौर	8 एम.एल.डी.
27–	ई.एस.आई. हॉस्पिटिल के पास, पुनायता रोड़, पाली	7.50 एम.एल.डी.
28–	ग्राम हेतामजी, (माउण्ट आबू) तहसील आबू रोड़, सिरोही	6 एम.एल.डी.

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2016–2017 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:–

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	3202
उत्सर्जित वायु / गैस	382
परिवेशी वायु	46631
ध्वनि स्तर	616
योग	50831

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2016–2017 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण / जल / वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 714 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 664 शिकायतों का निराकरण किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 785 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 754 मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 60 अपीलें दायर की गईं। इन सभी का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल 85 विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में कुल 20 विधिक अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2016–17 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 1274 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 447 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 573 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 254 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

विविध गतिविधियाँ

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 7 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 32 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, एवं उदयपुर में 3–3 स्थानों पर तथा कोटा एवं जोधपुर में 6–6 स्थानों पर तथा जयपुर में 8 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय जल गुणवत्ता जांच परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21जिलों के 128 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में

नदियों एवं झीलों के जल (सतही जल) के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं कुओं की छःमाही है। 128 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 42 केन्द्र नदियों एवं झीलों पर तथा 86 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्ड़पम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

राज्य में निवेश का वातावरण बनाने एवं उद्योगों के कार्य करने के सरलीकरण के लिए राज्य मण्डल द्वारा कई कदम उठाये गये, उनमें से प्रमुख हैः–

1. राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा सम्मति वैधता अवधि में विस्तार किया गया। इसके अन्तर्गत सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिये किया गया।
2. राज्य मण्डल द्वारा 47 प्रकार के उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जा कर इस श्रेणी के समस्त उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त करने के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया।
3. राज्य मण्डल द्वारा ''राज वायु'' नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाईल एप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया, जो जनता को सूचित निर्णय की जानकारी हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली है। इस मोबाईल एप पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी विभिन्न रंगों से आरेख के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाईल एप यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनिकी सहयोग से विकसित किया गया है।
4. कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा–कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।
5. राज्य मण्डल द्वारा सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट, सी.ई.टी.पी. से जुडी इकाइयों एवं सी.ई.टी.पी. के संचालन–संधारण से संबंधित कार्य करने वाली ऐजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के प्रभावी प्रबंधन हेतु दिनांक 14.12.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	11.64	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	2116.16
जल उपकर पुनर्भरण	263.72	कार्यालय व्यय	516.87
सम्मति शुल्क	11681.37	प्रयोगशाला व्यय	8.30
पी.डी.खाते से ब्याज	10.98	विज्ञापन एवं प्रकाशन	41.04
बैंक/एफ.डी.आर. पर ब्याज	3759.11	अनुसंधान एवं विकास	22.58
अन्य ब्याज	2.41	पूंजीगत व्यय	407.62
विविध आय	36.27	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय	35.49
नमूना विश्लेषण	5.78		
बी.एम.डब्ल्यू. (बायो मेडिकल वेस्ट)	49.16		
योग	15820.44	योग	3148.06

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2016–2017 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

उपकर राशि का विवरण	राशि (रूपये में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	14,50,30,631.00
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	10,82,80,140.00
केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	11,04,54,085.00

रा.प्र.नि.म.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर

Ph. 5101871, 5101872, EPBX: 5159600, 5159699
www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb

RRSML/17-18/RP